न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2011

अपीलांट

1. श्रीमति कमलादेवी पत्नी ढलारामजी के कायम मुकाम–

   1/1 प्रकाशचंद उर्फ प्रकाश पुत्र ढलारामजी, उम्र 50 वर्ष, जाति माली, निवासी शिवगंज जिला सिरोही

   1/2 श्रीमति चन्द्रकांता उर्फ चंदू पुत्री स्व. ढलारामजी पत्नी हरीरामजी, उम्र 43 वर्ष, जाति माली, निवासी पाली, आशापुरा नगर।

   1/3 श्रीमति उषादेवी पुत्री स्व. ढलारामजी, उम्र 37 वर्ष, जाति माली, निवासी पाली, 110 पुरूषार्थी नगर

   1/4 श्रीमति किरणदेवी पुत्री स्व. ढलारामजी पत्नी राजेशजी भाटी, उम्र 35 वर्ष, जाति माली, निवासी ब्यावर, मोतीपुरा वाडिया जिला अजमेर।

   1/5 नंदकिशोर पुत्र स्व. ढलारामजी, उम्र 35 वर्ष, जाति माली, निवासी पाली सत्यानारायण मार्ग।

   1/6 श्रीमति दौलतकुमारी पुत्री स्व. ढलारामजी पत्नी राजेशजी गहलोत जाति माली, निवासी जोधपुर, लालसागर।

   1/7 श्यामलाल उर्फ श्याम पुत्र स्व. ढलारामजी, उम्र 33 वर्ष, जाति माली, निवासी नपाली 110 पुरूषार्थी नगर, पाली।

   1/8 बजरंग पुत्र स्व. ढलारामली, उम्र 25 वर्ष, जाति माली, निवासी पाली 110 पुरूषार्थी नगर।

   1/9 सुश्री मीनाक्षी पुत्री स्व. ढलारामजी, उम्र 24 वर्ष, जाति माली निवासी पाली 110 पुरूषार्थी नगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. रामनारायण पुत्र रणछोडदासजी, जाति माहेश्वरी, निवासी चौधरीयो का बास, पाली के कायम मुकाम

   1/1 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामनारायण खेतावात, उम्र 41 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी 30 आदर्श नगर, पाली।

   1/2 प्रकाश पुत्र स्व. श्री रामनारायण खेतावत, उम्र 37 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी 30 आदर्श नगर, पाली।

   1/3 मंजू पत्नी विष्णु सोमानी पुत्री स्व. श्री रामनारायण खेतावत, उम्र 43 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी पाली 219 आदर्श नगर पाली।

   1/4 अंजू पत्नी विष्णु सोमानी पुत्री स्वं श्री रामनारायण खेतावत, उम्र 33 वर्ष, जाति माहेश्वरी, निवासी पाली, 30 आदर्श नगर, पाली।

2. फर्म पंकजकुमार मुंदडा एंड कम्पनी, पाली जरिये भागीदारान–

   2/1 रामेश्वरप्रसाद मुंदडा पुत्र जगदीशप्रसादजी मुंदडा, ठिकाना मकान नंबर 74 दुर्गादास नगर, पाली

   2/2 श्रीमति गीतादेवी पत्नी जगदीशप्रसादजी मुंदडा, ठिकाना मकान नंबर 74 वीरदुर्गादास नगर, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

15/2011

श्रीमति कमलादेवी के का.मु. प्रकाशचंद वगैरह बनाम रामनारायण के का.मु. राजेन्द्र वगैरह

पेज नंबर 2/6

2/3 सतीशकुमार मुंदडा पुत्र जगदीशप्रसादजी मुंदडा, ठिकाना मकान नंबर 74 दुर्गादास नगर, पाली।

2/4 नारायणदास पुत्र रामकिशन माथुर मार्फत रामेश्वर प्रसाद पुत्र जगदीशप्रसाद मुंदडा निवासी मकान नंबर 74 दुर्गादास नगर, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 से 1/4
3. श्री दुष्यन्त व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 2/1 से 2/3
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी पाली द्वारा मूल वाद संख्या 27/2002 बउनवान श्रीमति कमलादेवी बनाम रामनारायण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02/04 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पाली शहर की सीमा चक नंबर 1 में खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का 1/10 वा भाग यानि 1 बीघा 3 बिस्वा यानि 18585 वर्गफीट आराजी अपीलांट ने जरिये रजिर्स्टड बेचाननामे से खरीद की थी तथा उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त बेचाननामा दिनांक 10.10.1979 को रजिर्स्टड किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/10 हिस्से में से 1/10 वा हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 20.05.1985 को श्री रमेशकुमार सिंधी, तेजाराम गुर्जर एवं विमलाकोर तापडिया को विक्रय कर दिया। जिसके पश्चात अपीलांट के पास 12967 वर्गफीट भूमि शेष है जो भूखंडो के रूप में है। तथा उक्त आराजी के बीच रास्ते की जमीन छुटी हुई है। उक्त वाद के दौरान दिनांक 19.02.2001 को रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी धारा 90 बी आर.एल.एक्ट 1956 के तहत सिवायचक दर्ज होने से वाद प्रभावहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर अपीलांट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 25.04.2001 को उक्त प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवदेन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बहस सुनकर जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2002 को अपास्त किया जाकर वाद को विधिवत सुनवाई हेतु आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात वाद में रेस्पोडेन्ट ने पुनः दिनांक 10.08.2010 को उसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज होने एवं वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने 20.05.85 को बेचान करने का हवाला देते हुए वाद खारिज कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 12.10.2010 को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। उसके पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2007 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2002 को अपास्त कर वाद को विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा दोबारा उसी तथ्य को उठाने बाबत कोई विवेचन नहीं किया। रेस्पोडेन्ट ने संपूर्ण वादग्रस्त आराजी को दिनांक 20.05.85 को बेचने का उजर उठाया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री में उसका कोई हवाला नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.07.1985 के जिस बेचाननामे का हवाला जैर अपील निर्णय व डिक्री में दिया, उक्त कथित बेचान का रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2010 में कोई हवाला नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2010 के अलावा बेचानना दिनांक 04.07.1985 प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अपीलांट को नहीं दी गई एवं न ही अपीलांट को स्पष्टीकरण को कोई मौका दिया गया। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज है। जिससे राजस्व न्यायालय को उक्त आराजी के संबध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पाली शहर की सीमा चक नंबर 1 में खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का 1/10 वा भाग यानि 1 बीघा 3 बिस्वा यानि 18585 वर्गफीट आराजी अपीलांट ने जरिये रजिस्र्टड बेचाननामे से खरीद की थी तथा उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त बेचाननामा दिनांक 10.10.1979 को रजिस्र्टड किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी

1/10 हिस्से में से 1/10 वा हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 20.05.1985 को श्री रमेशकुमार सिंधी, तेजाराम गुर्जर एवं विमलाकोर तापडिया को विक्रय कर दिया। जिसके पश्चात अपीलांट के पास 12967 वर्गफीट भूमि शेष है जो भूखंडो के रूप में है। तथा उक्त आराजी के बीच रास्ते की जमीन छुटी हुई है। उक्त वाद के दौरान दिनांक 19.02.2001 को रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी धारा 90 बी आर.एल.एक्ट 1956 के तहत सिवायचक दर्ज होने से वाद प्रभावहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 25.04.2001 को उक्त प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवदेन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बहस सुनकर जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2002 को अपास्त किया जाकर वाद को विधिवत सुनवाई हेतु आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात वाद में रेस्पोडेन्ट ने पुनः दिनांक 10.08.2010 को उसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज होने एवं वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने 20.05.85 को बेचान करने का हवाला देते हुए वाद खारिज कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 12.10.2010 को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। उसके पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13/1/2 बिस्वा का 1/10 हिस्सा य अर्थात 18585 वर्गफीट भूमि अपीलांट ने खरीद की थी। उक्त आराजी में से अपीलांट ने कमला ने 1/10 वा हिस्से की भूमि में से 1/10 हिस्सा दिनांक 04.06.85 को श्री रमेश कुमार वगैरह को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया। शेष रही आराजी 9/10 वा हिस्सा की भूमि जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 04.07.85 को श्री भंवरलाल वगैरह को किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया। इस प्रकार से श्रीमति कमला के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुति के दौरान खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13/1/2 बिस्वा के 1/10 हिस्सा की संपूर्ण भूमि बेचान कर दिये जाने एवं कब्जा सुपुर्द किया जाने से कमला के पास कोई हक हकूक अथवा मालिकाना हक शेष नहीं रहा एवं न ही श्रीमति कमला वादग्रस्त खसरा नंबर 841/5 की खातेदार रही। जिससे उन्हे उक्त आराजी के संबध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी पर धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सरकारी सिवायचक दर्ज होकर नगर परिषद पाली के खाते में इन्द्राज हो चुकी है। जिससे वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक होकर आबादी घोषित होने से हाजा न्यायालय को उक्त आराजी के संबध में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पाली शहर की सीमा चक नंबर 1 में खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का 1/10 वा भाग यानि 1 बीघा 3 बिस्वा यानि 18585 वर्गफीट आराजी अपीलांट ने जरिये रजिर्स्टड बेचाननामे से खरीद की थी तथा उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त बेचाननामा दिनांक 10.10.1979 को रजिर्स्टड किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/10 हिस्से में से 1/10 वा हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 20.05.1985 को श्री रमेशकुमार सिंधी, तेजाराम गुर्जर एवं विमलाकोर तापडिया को विक्रय कर दिया। जिसके पश्चात अपीलांट के पास 12967 वर्गफीट भूमि शेष है जो भूखंडो के रूप में है। तथा उक्त आराजी के बीच रास्ते की जमीन छुटी हुई है। उक्त वाद के दौरान दिनांक 19.02.2001 को रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी धारा 90 बी आर.एल.एक्ट 1956 के तहत सिवायचक दर्ज होने से वाद प्रभावहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 25.04.2001 को उक्त प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवदेन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बहस सुनकर जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिस पर हाजा न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2002 को अपास्त किया जाकर वाद को विधिवत सुनवाई हेतु आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात वाद में रेस्पोडेन्ट ने पुनः दिनांक 10.08.2010 को उसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज होने एवं वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने 20.05.85 को बेचान करने का हवाला देते हुए वाद खारिज कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 12.10.2010 को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। उसके पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किया। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 841/5 रकबा 10 बीघा 13/1/2 बिस्वा किस्म चाही अव्वल भूमि में से 1/10 हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 10.10.79 को फर्म पंकजकुमार मुंदडा एंड कम्पनी से खरीद की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर श्रीमति कमलादेवी ने क्रय की गई 1/10 हिस्से में से दिनांक 04.06.85 को 1/10 हिस्सा श्री रमेशकुमार वगैरह को जरिये रजिस्टर्ड दस्तोवज बेचान कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जा सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त शेष रही आराजी 9/10 वा हिस्सा (संपूर्ण भूमि) श्रीमति कमला ने जरिये नोटेरी प्रमाणित शुदा अपंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 04.07.85 को श्री भंवरलाल वगैरह को किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर क्रेतागण ने वादग्रस्त आराजीयात को धारा 90 बी 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत उपनियम 5 के तहत जारी आदेश की पालना में गैर मुमकिन आबादी दर्ज होकर नगर परिषद के खाते में दर्ज हो चुकी है। साथ ही उपनियम 5 के तहत जारी आदेश के विरूद्ध धारा 90 बी के उपनियम 7 के तहत आदेश पारित होने के 30 दिवस के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किन्तु वकील अपीलांट ने इस संबध मे कोई दस्तावेजी सबूत हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार श्रीमति कमला ने अपनी समस्त खरीदशुदा आराजी का बेचान कर दिया। जिससे यह स्पष्ट है कि श्रीमति कमलादेवी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करते समय वादग्रस्त खसरा नंबर की खातेदार ही नहीं थी। जिससे श्रीमति कमलादेवी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन आबादी दर्ज होकर नगर परिषद के खाते में दर्ज हो चुकी है, जिससे वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो एवं कानूनी बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी पाली द्वारा मूल वाद संख्या 27/2002 बउनवान श्रीमति कमलादेवी बनाम रामनारायण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली